

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत..... सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायत

नेनाराम बनाम रागाराम कौसा

किस्म मुकदमा रा = डाकेत 111, 128 R.R. नं. 20/2022 सन. 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/02/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... रतनाराम जाखर</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 30/03/2022 को पेश हो।</p>	
30/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथी गौसा</p> <p>के नोटिस बर्क में जारी रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गये जिनसे एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है अन्तर्गत टोड (पत्रावली) दिनांक 09/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत जिला - बाडमेर</p>
09/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथी गौसा</p> <p>के नोटिस जारी रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गये जिनसे अर्दीक 2 माह के अर्दीक का समय खबालित हो चुका है विप्राथी गौसा की कोर्ट के डोई उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय समय लेन बाट आवजन लगाई गई मौलम आवजन 5.45 pm पर लगाई गई विप्राथी गौसा स्वयं या उनकी कोर्ट के डोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्राथी गौसा के विरुद्ध एडवोकेट बादिवादी समल में लाई जाती है कल वाते बरम पत्रावली दिनांक - 23/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत जिला - बाडमेर</p>

सहायक कलक्टर (SDO) बायत जिला - बाडमेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
बायतु  
जिला - बाडमेर

क्रमांक वार / 2022 /  
प्रार्थी  
न्यायालय  
780  
नगरपालिका

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 709

दिनांक : 23/5/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नैनाराम पुत्र किरपाराम,  
जाति जाट, निवासी खोखसर पश्चिम,  
पटवार मण्डल खोखसर पश्चिम,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. राणाराम पुत्र जगुराम वगैरा 36,  
जाति जाट, निवासी खोखसर पश्चिम,  
पटवार मण्डल खोखसर पश्चिम,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 70/2022

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - खोखसर पश्चिम, पटवार मण्डल - खोखसर पश्चिम, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1153/598, 1156/784, 1160/790, 1177/790 रकबा क्रमशः 0.4856, 0.0728, 3.7798, 0.0486 हैक्टर व मौजा कंकोलगढ़ पटवार हल्का खोखसर पश्चिम तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1293/56 रकबा 3.1889 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2022 / 710-714

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खोखसर पश्चिम को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नैनाराम पुत्र किरपाराम,
4. विप्रार्थी श्री राणाराम पुत्र जगुराम वगैरा 36,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर  
दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर